लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल

दूरभाष: 0755–2583650, फैक्स: 2583651, ई–मेल: coord-dpi@mp.gov.in

क्रमांक/समन्वय/बी/2018/224 भोपाल, दिनांक 30.10.18

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक
   लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
   म0प्र0।
3. समस्त नोडल प्राचार्य,शा0उ0मा0वि0,विकासखंड मुख्यालय
   म0प्र0।

विषयः–वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग दिनांक 22.10.2018 का कार्यवाही विवरण।

दिनांक 22.10.2018 को आयोजित **वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग** का कार्यवाही विवरण संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 30.10.18

पृष्ठा0क्रमांक/समन्वय/बी/2018/225
प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, म.प्र. भोपाल।
4. वरिष्ठ निज सहायक, आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
5. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश।
6. वरिष्ठ निज सहायक, अपर परियोजना संचालक (आरएमएसए) स्थानीय।
7. वरिष्ठ निज सहायक, संचालक प्रशासन लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
8. निज सहायक, अपर संचालक लोक शिक्षण म.प्र.।
9. संबंधित अधिकारीगण लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।

संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

दिनांक 22/10/2018 को आयोजित वीडियो कान्फ्रेसिंग का कार्यवाही विवरण

दिनांक 22/10/2018 को अपर संचालक श्री डी.एस कुशवाह एवं अपर संचालक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान सुश्री कामना आचार्य की अध्यक्षता में वीडियो कान्फ्रेसिंग मंत्रालय के कक्ष क्र 117 में आयोजित की गई। उक्त वीडियो कान्फ्रेसिंग में समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारियों एवं विकास खण्ड तथा जिला मुख्यालय के उ.मा. विद्यालय के प्राचार्यो के द्वारा सहभागिता की गई।

वीडियो कान्फ्रेसिंग में निम्नांकित विषयों पर समीक्षा की गई एवं निम्नानुसार निर्देश दिये गये :–

एक परिसर एक शाला के क्रियान्वयन के संबंध में समीक्षा :–

- अपर संचालक श्री डी.एस कुशवाह द्वारा एक परिसर एक शाला के क्रियान्वयन एवं कार्यान्वयन के संबंध में जिलेवार समीक्षा की गई समीक्षा के दौरान कई जिलों की प्रगति संतोषप्रद पाई गई तो कई जिले न्यून प्रगति पर रहे। एक परिसर एक शाला के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बीआरसी, सीएससी बैठक अपने स्तर पर करें । जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे मैदानी स्तर से इस प्रगति की समीक्षा करें।

- जिला शिक्षा अधिकारी भी ब्लाक वार बैठकें करें व डीपीसी भी अपने स्तर से बैठकें निरंतर करते रहें। श्री कुशवाह द्वारा समस्त संयुक्त संचालक लोक शिक्षण से पृच्छा करते हुये पूछा गया की ब्लाकों में आप लोगों ने समन्वयकों को नियुक्त किया है अथवा नहीं । मैदानी जानकारी हेतु समन्वयकों की नियुक्ति अत्यंत ही जरूरी है।

- अपर संचालक द्वारा बताया गया कि (अल्पसंख्यक बाहुल्य) कई जिलों से यह मॉग आ रही है कि उर्दू स्कूलों का विलय (Merge) न किया जाये । इस संबंध में विभाग विचार कर रहा है परन्तु आदर्श चुनाव आचार संहिता के कारण यह काम द्रुत गति से नहीं चल पा रहा है परन्तु बहुत जल्द ही इसका निराकरण सामने आयेगा। एक परिसर एक शाला के संबंध अभी भी जिला शिक्षा अधिकारियों, सीएसी प्राचार्यों, बीआरसी एवं कई अधिकारियों को काफी भ्रम की स्थिति है इस हेतु समस्त जिले के अधिकारी शासन के निर्देशों को स्पष्टतः पढ़ लें एवं दिनांक 25/10/2018 से 27/10/2018 के बीच ब्लाक लेबिल पर बैठक कर लें।

2. **जीवन कौशल शिक्षा के क्रियान्वयन एवं कार्यान्वयन के संबंध में समीक्षा** :– भारती ग्रामीण महिला संघ इन्दौर की सुश्री अंजली अग्रवाल द्वारा बताया गया कि अक्टूबर 2017 में किशोर–किशोरियों हेतु "**उमंग**" **"जीवन कौशल शिक्षा कार्यक्रम"** की शुरूआत हुई थी। यह कार्यक्रम विशेषकर कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र–छात्राओं के लिये वर्ष 2017 में कार्यान्वित किया गया था। **जीवन कौशल** विकसित करने के लिये स्कूल बेहद उपयुक्त हैं।

शारीरिक–मानसिक , भावनात्मक परिवर्तनों से जुड़े कई प्रश्नों हेतु उचित मार्गदर्शन जीवन कौशल शिक्षा के माध्यम से किशोर–किशोरियों के लिये दिया जा सकता है।

जीवन कौशल शिक्षा द्वारा किशोर/किशोरियों को निर्णय लेना, समस्या समाधान, विश्लेषण करना, प्रभावी संवाद, सकारात्मक संबंध विकसित करने आदि में काफी मददगार साबित होता है। स्वस्थ व खुशहाल जीवन के लिये यह काफी आवश्यक है।

3. उमंग कार्यक्रम की आवश्यकता के संबंध में चर्चा :–

- किशोर–युवाओं के विकास के लिये एकीकृत तथा संपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करती है।
- किशोरों में जानकारी, दृष्टिकोण व व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना है।
- किशोरों को वैकल्पिक अवसर का चुनाव करने का अवसर भी प्रदान करता है तथा जीवन की चुनौतियों व समस्याओं का सामना करने के योग्य बनाता है।
- निर्णय क्षमता को बढ़ाने में, संसाधनों व सही जानकारी को उन तक पहुँचाने में उनके विश्लेषण–कौशल को बढ़ाने में, समस्या एवं परिस्थितियों के साथ तालमेल/सामंजस्य बनाने में मदद करता है।

  विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जीवन कौशल अनुकुलनात्मक एवं सकारात्मक व्यवहार करने की दक्षतायें हैं जो व्यक्ति को दैनिक जीवन की आवश्यकताओं एवं चुनौतियों का प्रभावी तरीकों से सामना करने में समक्ष/सशक्त बनाती है।

4.जीवन कौशल के प्रभाव के संबंध में :–

- सपनों एवं मूल्यों को सकारात्मक रूप से परिवर्तित करना।
- अधिकारों को जानने में सक्षम होना।
- जीवन की चुनौतियों का सामना करना।
- अन्तःशक्ति, आत्मविश्वास बढ़ाना।
- समालोचनात्मक तरीके से सोचना।
- समस्या समाधान करना।
- तनाव का बेहतर तरीके से सामना करना।

5. डॉ.कामना आचार्य अपर संचालक द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी की भूमिका व दायित्व /विद्यालयों के प्राचार्य की भूमिका व दायित्व तथा नोडल शिक्षक की भूमिका व दायित्व के संबंध में प्रकाश डाला गया। सर्वप्रथम उनके द्वारा बतलाया गया की जिला शिक्षा अधिकारी जिले स्तर पर निम्नलिखित गतिविधियां सुनिश्चित करते हैं जो निम्नानुसार है :–

- जिला स्तर पर प्राचार्यों का उन्मुखीकरण।
- जिला स्तर पर नोडल शिक्षकों का प्रशिक्षण।
- नोडल शिक्षक का चयन।
- विद्यालयों में कार्यक्रम को लागू करना व स्कूल के टाइम टेबल में उमंग का पीरियड सुनिश्चित करना।
- नोडल शिक्षक को प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त करना।
- आवश्यकतानुसार कार्यक्रम से संबंधित अन्य निर्देश प्रेषित करना।
- प्रत्येक माह विद्यालयों में अनुश्रवण हेतु भ्रमण।
- विद्यालयों के प्राचार्यों व नोडल शिक्षकों के साथ कार्यक्रम की समीक्षा।

6. **विद्यालयों के प्राचार्य की भूमिका व दायित्व :–**

- उन्मुखीकरण बैठक में भाग लेना।
- विद्यार्थियों की समस्या के संबंध में सत्रों में मार्गदर्शन देना।
- सत्र के दौरान विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- विद्यार्थियों को नियमित फीडबैक लेना।
- शिक्षकों को सत्र संचालन हेतु प्रेरित करना।

7. **नोडल शिक्षक की भूमिका व दायित्वः–**

- नोडल शिक्षक के प्रशिक्षण में भाग लेना।
- विद्यालय में "उमंग" पाठ्यक्रम के सत्रों का आयोजन।
- कार्यक्रम के नियमित अनुश्रवण एवं समीक्षा में सहयोग।
- विद्यालय के अन्य शिक्षकों का उन्मुखीकरण करना।
- विद्यार्थियों की समस्या का समाधान करना।
- विद्यालय स्तर पर आयोजित सत्रों व गतिविधियों का प्रतिवेदन तैयार करना एवं प्रतिवेदन प्राध्यापक के माध्यम से समयबद्ध जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भेजना।

अपर संचालक, आर.एम.एस.ए. द्वारा बतलाया गया की बच्चों का सर्वांगीण विकास करना बहुत जरूरी है यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। उनके द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों एवं प्राचार्यों को समझाईस दी गई की अगर हमारा विभाग **"जीवन कौशल शिक्षा कार्यक्रम"** पर अच्छा करें तो इसके सकारात्मक परिणाम सामने आयेगे एवं अन्य राज्य भी मध्यप्रदेश से सीख लेंगे। मध्यप्रदेश राज्य एक ~~Modouler~~ Model State बनकर उभरेगा

8. **स्कूल परिवहन के संबंध में समीक्षा** :– अपर संचालक रमसा द्वारा परिवहन के संबंध में जिलेवार समीक्षा की गई । कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिये स्कूल शिक्षा

विभाग द्वारा परिवहन व्यवस्था हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। कुछ जिलों में परिवहन व्यवस्था चालू भी कर दी गई है एवं जिन जिलों में यह व्यवस्था चालू नहीं की गई है उन जिलों के विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी के मान से 500 रू प्रति माह दिया जा रहा है। उनके द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों एवं प्राचार्यों से पृच्छा करते हुये पूछा गया कि आप कब तक की समयसीमा में इस कार्यवाही को पूर्ण कर लेंगे कृपया सूचित करें एवं जिन जिलों को इस निर्देश के पालन करने में कठिनाई आ रही है वो जिले SMDC के माध्यम से इस प्रक्रिया को कार्यान्तिव कर सकते हैं या SMDC की सहायता ले सकते हैं।

9. **रिमेडियल टीचिंग के संबंध में समीक्षाः–** उनके द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को यह भी समझाइस दी गई की Google Drive Sheet को अवश्य ही भरा जावे ताकि विभाग को प्रत्येक जिले की परिवहन व्यवस्था की स्थिति स्पष्टतः ज्ञात हो भ्रम की स्थिति न बने एवं पारदर्शिता बनी रहे। रिमेडियल ट्रेनिंग की कार्यवाही नहीं हो पा रही है। जानकारी के अनुसार प्रदेश के 51 जिलो में से 14 जिलों में रिमेडियल ट्रेनिंग हुई है, शेष जिले शीघ्र करें। रिमेडियल ट्रेनिंग नहीं होने के कारण **Result** पर भी असर पड़ेगा। सही तरीके से सभी जिलों में रिमेडियल ट्रेनिंग होना चाहिये इस हेतु त्रैमासिक परीक्षा के आधार पर सेक्सन तय कर दें रिमेडियल ट्रेनिंग अंतर्गत 65 प्रतिशत कोर्स पढ़ाना तय करना है।

- वार्षिक परीक्षा हेतु प्रश्न पत्रों की मांग अपर संचालक द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया की वार्षिक परीक्षा के लिये जितने पेपरों की आवश्यकता है उसकी डिमांड भी Google Drive Sheet पर भर दी जाये।

विमर्श पोर्टल पर Text book के संबंध में भी प्रविष्टि कर दी जाये तथा पेपर डिमांड के आधार पर ही Text Book छपवाने का आर्डर पाठ्य पुस्तक निगम को दिये जायेगें।

10. **मॉडल स्कूलों एवं उत्कृष्ट विद्यालयों अंतर्गत छात्रावासों के संचालन के संबंध में समीक्षा** :– अपर संचालाक, आर.एम.एस.ए. के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों एवं प्राचार्यों से छात्रावासों को शुरू करने संबंध में जिलेवार जानकारी ली गई । अधिकतर जिलों द्वारा बतलाया गया की विधानसभा चुनाव उपरांत ही छात्रावासों को शुरू किया जावेगा। इस पर अपर संचालक द्वारा नराजगी जाहिर करते हुये समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया की वह छात्रावासों के संबंध में Google Drive Sheet पर जानकारी भर दें जिससे विभाग को स्थिति स्पष्ट हो जायेगी एवं विभाग आपसे पत्रों व वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से बार–बार पृच्छा करना बंद कर देगा। विभाग को भ्रम की स्थिति नहीं बनेगी

अंत में धन्यवाद् के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

9/10/17

संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.